



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1929 (श०)

(सं० पटना 714)

पटना, सोमवार 6 अगस्त 2007

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 अगस्त 2007

सं०-एल०जी०-1-023/2007/लेज-180--बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 28 जुलाई, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो० अकरम रिजवी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 26, 2007]

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002)

का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

प्रस्तावना।-

चूंकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम की धारा-3 के अनुसार सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य सेवाओं के सेवारत पदाधिकारियों की आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है।

और चूंकि, पदाधिकारियों की कमी के कारण सेवारत पदाधिकारियों की उक्त आयोग में पदस्थापन में कठिनाई अनुभूत की गई है;

और चूंकि, संविदा के आधार पर नियोजन, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के मामलों में आयोग की अनुशंसा प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है;

और चूंकि, उपर्युक्त कारणों से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियोजन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मेधावी खिलाड़ियों के नियुक्ति के मामलों को आयोग की अनुशंसा की अधिकारिता से बाहर करने हेतु प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत गणराज्य के अंठावनमें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-3 का प्रतिस्थापन।-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“3. आयोग का गठन।-(1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों को मिलाकर होगा;

(2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी;

परन्तु आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी नियुक्ति की तिथि को, राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा कर चुका हो;

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो, यथास्थिति, जबतक खण्ड-(2) के अधीन रिक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य ग्रहण नहीं कर लेता है या जबतक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं सँभाल लेते हैं तबतक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।”

3. बिहार अधिनियम-7, 2002 की धारा-4 का प्रतिस्थापन।-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002) की धारा-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल हटाया जाना एवं सेवाशर्तों।-(1) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से, पाँच वर्षों अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा:

परन्तु-

(क) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य उक्त अवधि के दौरान भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा;

(ख) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा, यदि वह-

(i) दिवालिया हो गया हो, या

(ii) कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर कोई भुगतय नियोजन स्वीकार कर लेता हो, या

(iii) राज्य सरकार की राय में किसी कारण से पद पर रहने हेतु अयोग्य हो जाता हो।

(2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवाशर्तों का विनिश्चय, इस अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विनियमावली बनाकर, किया जायेगा।”

4. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-5 में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-5 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा।-

“परन्तु यह कि संविदा-नियोजनों, छैटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामलों में नियुक्तियाँ आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेंगी।”

2 अगस्त, 2007

सं0-एल0जी0-1-023/2007/लेज: 181-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2007 को अनुमत बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो0 अकरम रिजवी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 26, 2007]

Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2007

An

ACT

TO AMEND THE BIHAR STAFF SELECTION COMMISSION ACT, 2002

(Bihar Act 7, 2002)

*Preamble*—WHEREAS, there is a provision of appointment of working Indian Administrative Service/State Services Officers as Chairman and Members of the Commission according to Section-3 of the Bihar Staff Selection Commission Act;

AND WHEREAS, it has been felt difficult to post the working officers in the said Commission due to shortage of hands;

AND WHEREAS, obtaining of recommendation of Commission has not been found practical in cases of employment on contract basis, adjustment of retrenched employees, compassionate appointments and appointment of outstanding sports person;

AND WHEREAS, in light of aforesaid reasons, it is expedient to amend the said Act to provide for appointment of retired officers as Chairman and Members of the Commission as well as to provide for exclusion of cases of contractual employment, adjustment of retrenched employees, compassionate appointment and appointment of outstanding sports person from the jurisdiction of recommendation of the Commission;

NOW THEREFORE, be it enacted by the Legislature of State of Bihar in the fiftyeighth year of Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Substitution of Section-3 of Bihar Act-7, 2002.*—Section -3 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2007 (Bihar Act-7, 2002) shall be substituted by the following:—

"3. *Constitution of Commission.*—(1) The Bihar Staff Selection Commission shall be constituted consisting of a Chairman and two Members;

(2) Appointment of the Chairman and other Members of the Commission shall be made by the State Government:

Provided that the Chairmen and other Members of the Commission shall be such persons who, on the dates of thier appointments, have held office for at least ten years under the State Government;

(3) If the office of the Chairman of the Commission becomes vacant or if the Chairman is, by reason of absence or for any other reason, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person appointed under clause(2) to the vacant office has entered on the duties thereof or, as the case may be, until the Chairman has resumed his duties, be performed by such one of the other members of the Commission as the State Government may appoint for the purpose."

3. *Substitution of Section-4 of Bihar Act 7, 2002.*—Section-4 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2007 (Bihar Act, 7, 2002) shall be substituted by the following:—

"4. Term of office, removal and service conditions of the Chairman and members of the Commission.—(1) Term of the Chairman and the Members of the Commission shall be of five years with effect from the date of appointment or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier:

Provided that—

(a) the Chairman and a Member of the Commission may resign his office during his term;

(b) the Chairman and a Member of the Commission may be removed from his office, if he—

(i) is adjudged an insolvent, or

(ii) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, or

(iii) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office due to any reason.

(2) The conditions of service of the Chairman and Members of the Commission shall be determined after framing regulation under the powers conferred by sub section-(1) of section-12 of the Act."

4. *Addition of a proviso to section-5 of the Bihar Act 7, 2002.*—The following proviso shall be added to section-5 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7, 2002):

"Provided that in the cases of contractual employments, adjustments of retrenched employees, compassionate appointments and appointments of outstanding sports person, the appointments may be made without obtaining the recommendation of the Commission."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० अकरम रिजवी,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----  
अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित  
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण), 714-571+400